।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 8221 / 12-1, गोपेश्वर, दिनांक दिसम्बर 24 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं0 3656/10 सी0 दिनांक 23.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम लगाई गई आपत्तियो का बिन्दुवार निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया जो निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	Plz reply to obj of RO-In reply to point No-1 of the EDS date 28-07-2016 of this office it is mentioned that all the five villages come under Gram Panchayt Bherni, but the proceedings of the meeting of the village level commitee under FRA have not been amended which still mention the name of village bherni only. May provide/upload revised proceedings of the village level commitee under FRA mentioning names of all the five villages, signed by representatives from all the villages.	उक्त 5 ग्रामों में ग्वाला ग्राम सभा पुणकिला के अन्तर्गत आता है। अतः ग्राम पुणकिला (ग्वाला), सिमली (राजवग्टी), भेरणी (पाणीगेर) एवं भेरणी का Village Level Commitee FRA Certificate Revised कर FRA certificate पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्नक–1, पेज 2 से 13

संलग्नकः– प्रस्तावक विभाग की पत्र के साथ सलंग्नक सहित।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :3656 / 10 एल.ए. दिनांक :- 23 /12/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :— **ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :— **EDS Dated 29 November 2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	2	3
1	Plz reply to obj of RO-In reply to point No.-1 of the EDS dated 28.07.2016 of this office it is mentioned that all the five villages come under Gram Panchayat Bherni, but the proceedings of the meeting of the village level committee under FRA have not been amended which still mention the name of village Bherni only. May provide / upload revised proceedings of the village level committee under FRA mentioning names of all the five villages, signed by representatives from all the villages.	उक्त 5 ग्रामों में ग्वाला ग्रामसभा पुणकिला के अन्तर्गत आता है। अतः ग्राम पुणकिला (ग्वाला), सिमली (राजबग्टी), भेरणी (पाणीगैर) एवं भेरणी का Village Level Committee FRA certificate Revised कर FRA certificate पार्ट–। में अपलोड कर दिया गया है। **संलग्नक–1, पेज 2 से 13**

अतः उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :— **उपरोक्त।**

23/12/16

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग
23/12/16

Attachment-1

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. / Dated : 13.4.2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 4.96 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Gwala to Bherni Motor Road Under Mukhya Mantri Ghoshna.** falls within jurisdiction of Bherni Village in Chamoli Tehsil.

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.96 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिला मजिस्ट्रेट
चमोली

Annexure-I

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 13.04.2015..... At 12.00 am at Chamoli in which the application claiming rights in village Bherni of Tehsil-Chamoli, area Measuring 4.96 Hectares for the **Construction of Gwala To Bherni Motor Road Under Mukhya Mantri Ghoshna.** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिला अधिकारी
चमोली

प्रपत्र–23.2

परियोजनाक़ानाम :– मा० मु० घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के वि० ख० घाट मे ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग हेतु नहीं ......हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.98 ....हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 2.98 हे0 वनपंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.96 हे0वनभूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मेंहस्तान्तरित कियेजाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील चमोली ......) की दिनांक 5/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवंनियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समितिकी बैठकश्री.... अवधेश कुमार सिंह .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी चमोली [signature] अध्यक्ष

2– श्री शिवानन्द कुमार उपप्रभागीय वनाधिकारी चमोली [signature] सदस्य

3– श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाजकल्याण अधिकारी घाट सदस्य/सचिव [signature]

4– श्री महिपाल सिंह नेगी वन अधिकार समीति सदस्य [signature]

श्री श्रीमती सुशीला देवी वन अधिकार समीति सदस्य श्रीमती सुशीला रावत

श्री मायादत्त पुरोहित वन अधिकार समीति सदस्य [signature]

उपखण्डसचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० मु० घोषणा के अन्तर्गत ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.96 हे0,वनभूमि.......... लो० नि० वि० ....प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का

कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।अतः प्रकरणमें उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्तिजारी की जा सकतीहै।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ज्वाला से भेरगी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माणहेतु 4.96 हे0 वनभूमि लो॰ नि॰ वि॰ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

AK Goel

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति

तहसील– चमोली
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

AK Goel

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति
तहसील– चमोली
जनपद चमोली

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा बदरी के सि०खं० घाट में ग्वाला से बेरी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पुणकिला (ग्वाला)

तहसील चमोली जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत सि०खं० घाट में ग्वाला से बेरी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.98 हे0 सिविल सोयम भूमि 2.975 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.96 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुणकिला द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुणकिला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Dr. V. S. Negi PHD.
Vill. Dev. Officer
Block Ghat (Chamoli)
ह0
ग्राम सचिव

ह0
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत पुणकिला घाट (चमोली)

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक २४/१२/१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सुणखिला, (ग्वाला)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बहादुर सिंह रावत	बहादुर सिंह
2	पूरन सिंह रावत	पूरन सिंह
3	मंगल सिंह रावत	मंगल सिंह
4	मोहन सिंह राणा	[illegible]
5	शेर सिंह राणा	[illegible]
6	रघुवीर सिंह रावत	[illegible]
7	राजेन्द्र सिंह रावत	राजेन्द्र सिंह
8	जमन सिंह रावत	जमन सिंह
9	उदय सिंह रावत	उदय सिंह
10	जयलाल	जयलाल
11	विक्रम लाल	विक्रम

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मा॰मु॰मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के वि॰ख॰ घाट में ग्वाला से मेल्डी तक मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सितैली (राजगाढ़ी)

तहसील चमोली जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा॰मु॰मंत्री घोषणा के अन्तर्गत वि॰ख॰ घाट में ग्वाला से मेल्डी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.98 हे0 सिविल सोयम भूमि, 2.975 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.96 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सितैली (राजगाढ़ी) द्वारा दिनांक 24/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सितैली (राजगाढ़ी) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Dr. V. S. Negi PHD.
Vill. Dev. Officer
Block- Ghat (Chamoli)

ह0/–
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत
ह0 भुवनेश्वरी देवी
ग्राम प्रधान
दि0 22-12-16

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 22/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमली (राजकोटी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विलेश्वर प्रसाद पुरोहित	विलेश्वर
2	चन्द्रमणी पुरोहित	चन्द्रमणी
3.	राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित	राजेन्द्र
4	ओम प्रकाश पुरोहित	ओम प्रकाश
5	हरीश पुरोहित	[signature]
6	सन्दीप पुरोहित	Sandeep
7	कुलदीप पुरोहित	कुलदीप
7	वल्लभ पुरोहित	वल्लभ पुरोहित
8	लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित	[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत राजकोटी
ग्राम प्रधान
ह० माहेश्वरी देवी
दि० 22-12-16

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मा०मु०मंत्री घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के वि०ख० घाट में ज्वाला से भेरली तक मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम भेरली (पाणीगैर)
तहसील चमोली जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा०मु०मंत्री घोषणा के अर्न्तगत वि०ख०घाट मे ज्वाला से भेरली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि 1.98 हे0 सिविल सोयम भूमि 2.275 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.26 हे0 वन भूमि का लो०नि० निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरली (पाणीगैर) द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरली (पाणीगैर) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि० निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– Dr. V. S. Negi PHD
Vill. Dev. Officer
Block-Ghat (Chamoli)
ग्राम सचिव

ह0/ मंजू देवी
ग्राम प्रधान
(ग्राम पंचायत भेरली, वि० ख० घाट (चमोली))

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 24/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भेरुनी (पाणीगाँव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राकेश सिंह	[signature]
2	मदन सिंह	मदन सिंह
3	रघुवीर सिंह	[signature]
4	दयाल सिंह	दयाल सिंह
5	लक्ष्मण सिंह	[signature]
6	आनन्द सिंह	आनंद सिंह
7	दिलवर सिंह	दिलवर
8	नारायण सिंह	नारायणसिंह
10	गणेश सिंह	गणेशसिंह

ग्राम पंचायत भेरुनी
ह0 मंजू देवी
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 पाट (चम्पावत)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मा०मु०मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा कराली के वि०ख० घाट मे ग्वाला से मेल्गी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...मेल्गी...

तहसील...चमोली..... जिला...चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद...चमोली के अन्तर्गत मा०मु०मंत्री घोषणा के अन्तर्गत वि०ख० घाट मे ग्वाला से मेल्गी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ...0.00... हे0 आरक्षित वन भूमि,...1.98... हे0 सिविल सोयम भूमि,2.275 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल ...4.26...हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...मेल्गी... द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...मेल्गी... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
Dr. V. S. Negi PHD.
Vill. Dev. Officer
Block- Ghat (Chamoli)
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत मेल्गी
ह0 मंजू देवी
ग्राम प्रधान
वि०ख० घाट (चमोली)

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 24/12/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मोरखी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भरत सिंह	भरत सिंह
2	हरीश लाल	हरीश लाल
3	सौणिया लाल	सोणिया लाल
4	जसपाल सिंह	जसपाल सिंह
5	महिपाल सिंह	महिपाल
6	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
7	पुष्कर सिंह रावत	[illegible]
8	भवान सिंह	भवान सिंह
9	श्याम सिंह	श्याम सिंह
10	प्रताप सिंह	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह0/ मंजू देवी
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 पाट [illegible]